Press Clippings regarding coverage of Report of the Comptroller and Auditor General of India on the 'Working of Uttar Pradesh State Industrial Development Authority', Government of Uttar Pradesh, Report No. 14 of the year 2025 (Performance Audit- Civil) in Newspapers

Date of laying/tabling of Audit Report in the State Legislature: 19.02.2026

Name of the Newspaper	**नवभारत टाइम्स**
Date	**20.02.2026**
Edition	**हिंदी**
Page No.	**02**

मल्टी फंक्शनल और औद्योगिक जोन बना न प्रकृति संरक्षण जोन ही विकसित हुआ

■ **NBT रिपोर्ट, लखनऊ :** उन्नाव और लखनऊ सीमा पर मल्टी फंक्शनल और औद्योगिक जोन के साथ पर्यटन प्रकृति संरक्षण जोन बनना था, लेकिन पांच साल में भी इसे पूरा नहीं किया जा सका। दिलचस्प बात यह है कि लीडा महायोजना की मंजूरी के बाद 29,996 हेक्टेअर जमीन मिलने के बाद भी इन योजनाएं अंजाम तक नहीं पहुंच सकी हैं। यूपीसीडा में प्रॉजेक्ट्स की लेटलतीफी का यह खुलासा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की ऑडिट रिपोर्ट में हुआ है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 से लेकर 2022-23 तक की यह ऑडिट रिपोर्ट गुरुवार को विधानमंडल में रखी गई। इसमें यूपीसीडा में भूमि अधिग्रहण से लेकर औद्योगिक भूखण्डों के आवंटन, पुरानी योजनाओं के रखरखाव, मरम्मत शुल्क की वसूली और वित्तीय प्रबंधन के तौर तरीकों पर गंभीर सवाल उठाया गया है। सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट ने यूपीसीडा में निलामी से होने वाले आवंटन और करवाए जाने वाले कामों में भी गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक विभाग ने 255 करोड़ रुपये से ज्यादा के 15 प्रॉजेक्ट्स के लिए फर्मों के साथ एग्रीमेंट किए गए, लेकिन बाद में इन फर्मों के कई दस्तावेज फर्जी पाए गए। इसका खुलासा होने के बाद एग्रीमेंट निरस्त किए गए, लेकिन इस लापरवाही के चलते प्रॉजेक्ट पूरा होने में देरी हुई। यही नहीं, विभाग ने जो एग्रीमेंट किए उनमें से 1 करोड़ से 63 करोड़ तक के 27 काम थे। इनमें जिन लोगों ने बोली लगाई, उनकी बोली लगाने की क्षमता का भी आकलन नहीं किया गया था।

यह गड़बड़ियां भी सामने आईं

- यूपीसीडा ने छह वर्षो मे भूमि आवंटन के लक्ष्य पूरे किए और न ही आवंटियो से वसूली का लक्ष्य ही पूरा किया।
- 3939 वर्गमीटर का एक इंडस्ट्रियल प्लॉट 93 लाख रुपये मे आवंटित किया गया, जबकि आवेदन पूर्ण नही था।
- रोजगार सृजन के मानको का गलत इस्तेमाल कर एक अपात्र को 5018 वर्गमीटर का इंडस्ट्रियल प्लॉट एक करोड़ 10 लाख रुपये मे आवंटित किया।
- जनता से आपत्तियां मांगे बिना 674 वर्गमीटर से लेकर 17042 वर्गमीटर के चार प्लॉट आवंटित किए गए।
- 37 मामलो मे कंप्लीशन सर्टीफिकेट से पहले ही उत्पादन शुरू कर दिया।
- यूपीसीडा ने 184 करोड़ का आयकर जमा किया, जबकि नियम के मुताबिक आयकर से छूट मिलनी चाहिए थी।
- मानको की अनदेखी कर 57 करोड़ रुपये का फिक्स डिपॉजिट किया गया।

Press Clippings regarding coverage of Report of the Comptroller and Auditor General of India on the 'Working of Uttar Pradesh State Industrial Development Authority', Government of Uttar Pradesh, Report No. 14 of the year 2025 (Performance Audit- Civil) in Newspapers

Date of laying/tabling of Audit Report in the State Legislature: 19.02.2026

Name of the Newspaper	**Hindustan Times**
Date	**20.02.2026**
Edition	**English**
Page No.	**05**

see the next page

{ UPSIDA }

CAG flags gaps in contracts, plot allotments

Umesh Raghuvanshi

uraghuvanshi@hindustantimes.com

LUCKNOW: The Comptroller and Auditor General (CAG) report tabled in the Uttar Pradesh legislative assembly on Thursday has highlighted major shortcomings in the functioning of the Uttar Pradesh State Industrial Development Authority (UPSIDA), pointing to its operations without approved regulations, irregularities in evaluation of bidding documents, awarding of contracts, and allotment of plots without obtaining financial details or prescribing minimum qualifying marks.

The report covers the period from 2017-18 to 2021-22 (updated up to March 2024).

The CAG noted that the UPSIDA, which was formed on September 5, 2001 to address difficulties faced by the UP State Industrial Corporation Limited and ensure planned development of industrial areas, did not exercise adequate internal financial controls. The CAG observed instances of deficiencies in decision-making regarding loans (₹41 crore taken from the UP government and ₹450 crore from Noida) and unsecured loans of ₹52.84 crore granted to two public sector undertakings.

Regarding awarding of contracts, the CAG pointed out that 27 contract bonds valued between ₹1.01 crore and ₹63.41 crore were awarded to contractors without assessing their bidding capacity. Of these, 11 works were completed with delays ranging from 61 to 2,612 days, while 14 works, incomplete till March 2024, were delayed by 648 to 2,678 days.

It was also noted that UPSIDC (later converted into an authority), in its 298th board meeting (January 2018), acknowledged that work could not be executed properly due to award of high-value works to contractors with lower capacity.

The CAG further noted that UPSIDA introduced a lenient liquidated damages (LD) clause compared to the UP public works department (UPPWD) in contract bonds executed with contractors. "Due to this, it could withhold a maximum of only one percent of the contract bond value instead of 10 percent," according to excerpts of the CAG observations.

"...UPSIDC awarded 13 contracts valuing ₹143.22 crore of two selected construction divisions... without verification of ...experience certificates. Later, these certificates were suspected (June 2017) fake resulting in cancellation (July 2017) of awarded contracts. Similarly, UPSIDC awarded (January 2017) two contracts valuing Rs 112.53 crore... without verification of experience certificates and Fixed Deposit Receipt (FDR). Later, these certificates were suspected to be fake resulting in cancellation (January 2018) of awarded contracts."

UPSIDA accepted the observations, and the state government stated (July 2024) that FIRs had been registered and contracts rescinded. Recovery proceedings were initiated against one of the builders and recovery of ₹139.28 lakh out of ₹1,265.46 lakh was made, while recovery of the remaining amount was in progress.

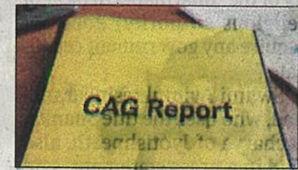

THE CAG POINTED OUT THAT 27 CONTRACT BONDS VALUED BETWEEN ₹1.01 CRORE AND ₹63.41 CRORE WERE AWARDED TO CONTRACTORS WITHOUT ASSESSING THEIR BIDDING CAPACITY.

On allotment of industrial plots, the CAG noted that plots were allotted to ineligible applicants in violation of guidelines. UPSIDA (including UPSIDC) allotted 1,585 industrial plots, plots under five residential schemes and six commercial plots during 2017-18 to 2021-22. Of these, 177 industrial plots, four residential schemes and six commercial plots were selected for detailed examination.

The CAG noted that UPSIDC allotted industrial plots on the basis of interviews of applicants (up to June 13, 2017). It was not provided the minutes of the interview committee in the case of two plots, recommendations of the project evaluation committee (PEC) in the case of 21 plots and headquarters committee records in the case of four plots out of the 177 sampled industrial plots. The operation manual (Industrial Area), 2011 stipulates that applications for allotment of land must be complete in all respects and applicants should provide documents supporting financial strength, technical expertise and past experience at the time of interview.

The CAG further noted that an applicant in Mathura did not provide project details or means of finance. Despite the incomplete application, the interview committee (May 2017) recommended allotment of the plot. The audit also found no criteria or mechanism to assess the financial strength of applicants.

It cited cases in Kosi Kotwan (Mathura) where the total annual income of applicants (in two plots) was ₹7.24 lakh and ₹6.36 lakh respectively against proposed project costs of ₹41.53 crore and ₹40.25 crore.

The report noted that none of the applicants deposited the reservation money (₹6.95 lakh each) within 30 days after allotment on February 27, 2020. In another case at Kosi Kotwan, the applicant declared a net worth of only ₹1.04 lakh against a project cost of ₹300 crore. However, allotment (March 31, 2021) of the plot and time extension up to September 30, 2024 were granted to the applicant to set up the unit. The CAG has provided separate details of allotment of industrial plots to ineligible applicants.

Press Clippings regarding coverage of Report of the Comptroller and Auditor General of India on the 'Working of Uttar Pradesh State Industrial Development Authority', Government of Uttar Pradesh, Report No. 14 of the year 2025 (Performance Audit- Civil) in Newspapers

Date of laying/tabling of Audit Report in the State Legislature: 19.02.2026

Name of the Newspaper	**दैनिक जागरण**
Date	**20.02.2026**
Edition	**हिंदी**
Page No.	**02**

फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उप्र राज्य

6 वर्षों के यूपीसीडा के कार्यों की सीएजी रिपोर्ट विमं के दोनों सदनों में पेश

- आवंटियों से कम राशि लेकर किया ज्यादा भूमि का आवंटन
- अपात्र आवेदकों को औद्योगिक भूखंड का किया आवंटन

राज्य ब्यूरो, जागरण• लखनऊ : उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दो बिल्डर कंपनियों को 255.75 करोड़ रुपये में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास का ठेका आवंटित किया था। इसका राजफाश विधानमंडल के दोनों सदनों में गुरुवार को पेश की गई भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में किया गया है। यह रिपोर्ट यूपीसीडा के वर्ष 2017-18 से 2021-22 के कार्यकाल की है। सीएजी ने औद्योगिक भूखंडों के आवंटन, भूमि अधिग्रहण, बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन, भूमि विकास, सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को असुरक्षित ऋण देने, आयकर में छूट का लाभ न ले पाने सहित यूपीसीडा की आंतरिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है।

सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि वर्ष 2015-16 में मेसर्स बालाजी बिल्डर को अनुभव प्रमाणपत्र के सत्यापन के बिना ही औद्योगिक क्षेत्रों के दो चयनित निर्माण खंडों के विकास के लिए 143.22 करोड़ रुपये के 13 अनुबंध प्रदान कर दिए थे। इसी प्रकार मेसर्स आकाश इंजीनियरिंग एंड बिल्डर्स को अनुभव प्रमाणपत्र और सावधि जमा प्राप्ति (एफडीआर) के सत्यापन के बिना ही 112.53 करोड़ रुपये के दो अनुबंध औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए प्रदान किए गए थे। जांच में प्रमाणपत्रों फर्जी पाए जाने के बाद वर्ष 2017-2018 में अनुबंध निरस्त किए गए। इस मामले में एफआइआर भी कराई गई, लेकिन दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई। दोनों ठेकेदारों से 12.65 करोड़ रुपये की राशि में से केवल 1.39 करोड़ रुपये की राशि ही वसूली जा सकी।

रिपोर्ट में यह सवाल भी उठाया गया कि ठेकों की बोली लगाने से पहले ठेकेदारों की क्षमता का आकलन नहीं किया गया। 1.01 करोड़ रुपये से लेकर 63.41 करोड़

see the next page also

1.01 करोड़ रुपये से लेकर 63.41 करोड़ रुपये के मध्य अपात्र ठेकेदारों ने लगाई थी 27 बोली, कैग रिपोर्ट में उठाया गया सवाल

वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान यूपीसीडा द्वारा 322 करोड़ से 2694 करोड़ के निवेश और करीब 35 हजार रोजगार सृजन के दावे को सीएजी ने बताया गलत

औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने दिया 255.75 करोड़ रुपये का ठेक

25 करोड़ की बजाय निर्माण निगम को दिए 26 करोड़ रुपये

सरकार ने कन्नौज में परफ्यूम पार्क के निर्माण के लिए 25 करोड़ रुपये की राशि जारी की थी, लेकिन पार्क के निर्माण के लिए यूपीएसआइडीसी ने यूपी राजकीय निर्माण निगम को दिसंबर 2016 में 26 करोड़ रुपये जारी किए। निर्माण निगम से राशि तो वापस ली गई लेकिन 1.48 करोड़ रुपये के ब्याज की वसूली नहीं की गई।

अधिकार क्षेत्र से बाहर औद्योगिक क्षेत्रों पर खर्च किए 7.67 करोड़

यूपीसीडा ने नगर निकायों के क्षेत्राधिकार से बाहर नगर निकायों में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव पर वर्ष 2019-20 में 7.67 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। आवंटियों ने इसका शुल्क भी नहीं वसूला गया।

वसूली का वार्षिक लक्ष्य भी पूरा नहीं कर सका यूपीसीडा

वर्ष	क्षेत्रफल(एकड़ में)	लक्ष्य (करोड़ में)	उपलब्धि (करोड़ में)	उपलब्धि (प्रतिशत)
2017-18	863	1234.40	800	64.81
2018-19	1000	1355	641.83	47.37
2019-20	800	925	488.97	52.86
2020-21	1100	1100	618.55	56.23
2021-22	800	1100	701.35	63.76
2022-23	800	1000	961.36	96.14

रुपये के मध्य 27 बोली अपात्र ठेकेदारों ने लगाई थी। इसके बाद भी उन्हें 27 कार्य आवंटित किए गए। इसकी वजह से 25 कार्य 61 से 2678 दिन देरी के बाद भी पूर्ण नहीं हो सके थे। रिपोर्ट में कम क्षमता वाले ठेकेदारों को उच्च क्षमता वाले कार्य देने का जिक्र किया गया है। इतना ही नहीं, 16 मामलों में 13.71 करोड़ रुपये की क्षति पूर्ति और 34 कार्यों में 1.63 करोड़ रुपये की गुणवत्ता परीक्षण शुल्क की वसूली न किए जाने का मामला भी रिपोर्ट में उजागर किया गया है।

मथुरा औद्योगिक क्षेत्र-बी में 3929 वर्गमीटर (जे-134 और जे-135) का आवंटन 93.08 लाख रुपये में साक्षात्कार और आवेदन की प्रक्रिया पूरी किए बिना ही कर दिया था। इसी प्रकार कानपुर देहात के जैनपुर में स्थित औद्योगिक क्षेत्र में 5018.65 वर्ग मीटर का भूखंड अपात्र आवेदक मेसर्स जय भगवती ट्रेडर्स को 1.10 करोड़ रुपये में किया गया था, जबकि मूल्यांकन के आधार पर यह भूखंड आइआरसीटीसी को आवंटित किया जाना चाहिए था।

सीएजी की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि यूपीसीडा ने वर्ष 2017-19 के बीच सिधवान, कोसी कोटवन-ए, कोसी कोटवन एक्सटेंशन-1 और जीसी शाहजहांपुर के औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित चार संविलियत भूखंडों का आवंटन संबंधित लोगों से आपत्तियां प्राप्त किए बिना कर दिया था। वर्ष 2021 में परियोजना का मूल्यांकन किए बिना ही उरई व सुमेरपुर औद्योगिक क्षेत्रों में तीन आवंटियों को नियमों के विरुद्ध दो हजार से 10542 वर्ग मीटर के भूखंड आवंटित किए गए थे। नियमों का उल्लंघन कर यूपीसीडा द्वारा ई-नीलामी में पांच प्रतिशत राशि की बढ़ोतरी न करने से 58.98 लाख रुपये की कम वसूली हो सकी।

37 मामलों में पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने से पूर्व ही औद्योगि इकाइयों में उत्पादन शुरू कर ि गया था। सीएजी ने वर्ष 2017- से 2021-22 के दौरान यूपीसी द्वारा 322 करोड़ रुपये से 26 करोड़ रुपये निवेश और करीब हजार रोजगार सृजन के दावे गलत बताया है।

रिपोर्ट में 450 करोड़ रुपये असुरक्षित ऋण देने का माम भी उजागर किया है। साथ स्पष्ट किया कि यूपीसीडा ने जु 2018 से मार्च 2024 की अवधि 184.43 करोड़ रुपये का आय जमा किया, जबकि यूपीसी आयकर में छूट का लाभ ले सक था। वहीं नियमों के विरुद्ध 57. करोड़ रुपये सावधि जमा कराए उसका रजिस्टर तैयार नहीं कि समय पर टीडीएस की राशि वा का दावा न कर पाने के का यूपीसीडा को 60.33 करोड़ रुपये नुकसान हुआ।

Press Clippings regarding coverage of Report of the Comptroller and Auditor General of India on the 'Working of Uttar Pradesh State Industrial Development Authority', Government of Uttar Pradesh, Report No. 14 of the year 2025 (Performance Audit- Civil) in Newspapers

Date of laying/tabling of Audit Report in the State Legislature: 19.02.2026

Name of the Newspaper	**अमर उजाला**
Date	**20.02.2026**
Edition	**हिंदी**
Page No.	-

फर्जी दस्तावेजों पर दे डाले 255 करोड़ के ठेके

विधानमंडल के दोनों सदनों में सीएजी की रिपोर्ट पेश...यूपीसीडा की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल

लखनऊ। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। विधानमंडल के दोनों सदनों में बृहस्पतिवार को पेश की गई रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दो बिल्डर कंपनियों को 255.75 करोड़ रुपये के औद्योगिक विकास कार्यों के ठेके आवंटित कर दिए गए।

रिपोर्ट वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि से संबंधित है। इसमें औद्योगिक भूखंडों के आवंटन, भूमि अधिग्रहण, बोली दस्तावेज के मूल्यांकन, भूमि विकास कार्यों जैसे कई मामलों में अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2015-16 में मेसर्स बालाजी बिल्डर को अनुभव प्रमाणपत्र का सत्यापन किए बिना ही दो निर्माण खंडों के विकास के लिए 143.22 करोड़ के 13 अनुबंध दिए गए। बाद में अनुभव प्रमाणपत्र फर्जी मिलने पर वर्ष 2017 में अनुबंध निरस्त करने पड़े। इसी तरह मेसर्स आकाश इंजीनियरिंग एंड बिल्डर्स को अनुभव प्रमाणपत्र और एफडी के सत्यापन के बिना 112.53 करोड़ के अनुबंध दिए गए। वर्ष 2018 में प्रमाणपत्र फर्जी मिलने पर अनुबंध निरस्त किए गए।

इसमें रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का उल्लेख रिपोर्ट में नहीं है। सीएजी ने ऐसे मामलों में उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित किए जाने की अनुशंसा की है। ब्यूरो

जिनकी क्षमता नहीं, उन्हें भी ठेके : विकास कार्यों से जुड़े ठेकों की बोली प्रक्रिया से पहले ठेकेदारों की तकनीकी और वित्तीय क्षमता का समुचित आकलन नहीं किया गया। पात्रता मानकों पर खरे नहीं उतरने वालों को 27 कार्य आवंटित किए गए। सीएजी ने 16 मामलों में 13.71 करोड़ की क्षतिपूर्ति और 34 कार्यों में 1.63 करोड़ के गुणवत्ता परीक्षण शुल्क की वसूली न किए जाने को अनियमितता माना।

भूमि आवंटन में नियमों की अनदेखी : भूमि आवंटन में भी नियमों की अनदेखी सामने आई है। मथुरा औद्योगिक क्षेत्र-बी में 3929 वर्गमीटर भूखंड का 93.08 लाख रुपये में आवंटन आवेदन और साक्षात्कार प्रक्रिया पूरी किए बिना कर दिया गया। कानपुर देहात के जैनपुर औद्योगिक क्षेत्र में 5018.65 वर्गमीटर का भूखंड अपात्र आवेदक मेसर्स जय भगवती ट्रेडर्स को 1.10 करोड़ रुपये में आवंटित कर दिया।

>> आयुष विभाग में दवाओं की खरीद में हुई गड़बड़ी : पेज 2

Press Clippings regarding coverage of Report of the Comptroller and Auditor General of India on the 'Working of Uttar Pradesh State Industrial Development Authority', Government of Uttar Pradesh, Report No. 14 of the year 2025 (Performance Audit-Civil) in Newspapers

Date of laying/tabling of Audit Report in the State Legislature: 19.02.2026

Name of the Newspaper	**हिंदुस्तान**
Date	**20.02.2026**
Edition	**हिंदी**
Page No.	**14**

यूपीसीडाः 25 करोड़ से अधिक की हुई धांधली

2

लखनऊ। सीएजी रिपोर्ट में उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) में 25 करोड़ रुपये की आर्थिक अनियमितताओं के साथ ही असुरक्षित ऋण प्रदान किए जाने व आयकर छूट का लाभ न ले पाने जैसी खामियां उजागर हुई हैं। यह भी सामने आया है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दो कंपनियों को 255.75 करोड़ रुपये में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास का काम सौंपा गया था। रिपोर्ट में औद्योगिक भूखंडों के आवंटन, भूमि अधिग्रहण तथा बोली दस्तावेजों के मूल्यांकन में बरती गई लापरवाही को लेकर भी यूपीसीडा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। सीएजी ने वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान के कार्यों की समीक्षा की है, जिसे गुरुवार को सदन के पटल पर रखा गया। जिसमें लापरवाही के उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति की गई है। कहा गया है कि यूपीसीडा भूमि विकास के अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सका जबकि बोली दाताओं को उनके फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अनुबंध प्रदान किए गए।

Press Clippings regarding coverage of Report of the Comptroller and Auditor General of India on the 'Working of Uttar Pradesh State Industrial Development Authority', Government of Uttar Pradesh, Report No. 14 of the year 2025 (Performance Audit- Civil) in Newspapers

Date of laying/tabling of Audit Report in the State Legislature: 19.02.2026

Name of the Newspaper	**The Times of India**
Date	**20.02.2026**
Edition	**English**
Page No.	**08**

CAG flags irregularities, delays in UPSIDA works

TIMES NEWS NETWORK

Lucknow: A Comptroller and Auditor General of India (CAG) report flagged major delays and irregularities in projects undertaken by the Uttar Pradesh State Industrial Development Authority (UPSIDA). The audit report, tabled in the UP Assembly on Thursday, covered 2018-19 to 2022-23.

According to the report, a proposed multi-functional and industrial zone, along with a tourism-based nature conservation zone between Lucknow and Unnao, remained incomplete even after 5 years. A total of 29,996 hectares were made available after approval of the master plan. However, development has not been completed.

The CAG raised questions over land acquisition, allotment of industrial plots, recovery of maintenance charges, and overall financial management.

The report said 15 projects worth over Rs 255 crore were awarded to firms whose documents were later found to be fake. Agreements were cancelled, causing delays. In 27 works costing between Rs 1 crore and Rs 63 crore, bidders' financial capacity was not properly assessed.

In 16 works, liquidation charges were not recovered. In 34 works, quality testing fees were not collected from contractors. The authority also spent Rs 7.67 crore on maintenance of industrial areas falling under urban local bodies.

The audit said land allotment and recovery targets were not met over 6 years. It cited cases of plots being allotted despite incomplete applications. In 1 case, a 3,939 sqm plot was allotted for Rs 93 lakh. In another, a 5,018 sqm plot was allotted to an ineligible applicant for Rs 1.10 crore.

The report also flagged premature production by 37 firms and questioned tax payments and fixed deposits made in violation of norms.

Press Clippings regarding coverage of Report of the Comptroller and Auditor General of India on the 'Working of Uttar Pradesh State Industrial Development Authority', Government of Uttar Pradesh, Report No. 14 of the year 2025 (Performance Audit- Civil) in Newspapers

Date of laying/tabling of Audit Report in the State Legislature: 19.02.2026

Name of the Newspaper	**अमर उजाला**
Date	**21.02.2026**
Edition	**हिंदी**
Page No.	**01**

कंपनी एक लाख की, दे दी 300 करोड़ की जमीन

सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा : यूपीसीडा ने आंख मूंदकर बांटीं जमीनें, बाद में करना पड़ा रद्द

लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के कामकाज पर नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक (सीएजी) ने कई सवाल उठाए हैं। विधानसभा में रखी गई सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार कोसी कटवन की एक बेशकीमती जमीन ऐसी कंपनी को दे दी गई, जिसकी नेटवर्थ (कुल संपत्ति) महज एक लाख रुपये थी और परियोजना 300 करोड़ की थी। यूपीसीडा के अधिकारियों ने आंख मूंदकर ऐसी कई जमीनें बांट दीं। बाद में अनुबंध रद्द भी करना पड़ा।

भूखंड के आवेदकों की वित्तीय स्थिति जानने का नहीं था मापदंड

यूपीसीडा ने आवेदकों की आर्थिक स्थिति के लिए अंक प्रणाली तैयार की थी। इसके तहत आवेदकों को उनकी नेटवर्थ के आधार पर अंक दिए जाते थे। टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक होने पर पांच अंक मिलते थे लेकिन भूखंड के लिए आवेदन करने वालों की वित्तीय स्थिति जानने का अन्य कोई मापदंड नहीं था। ऐसे में आवेदकों को उनकी क्षमता से बहुत अधिक मूल्य की परियोजनाओं को अनुमोदित कर दिया गया। >> सात निगमों ने तीन साल में पहुंचाई 32 हजार करोड़ की चोट : विशेष पेज : बजट सत्र

यूपीसीडा में परियोजना लागत के सापेक्ष आवेदक की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया गया और जमीनें रेवड़ियों की तरह बांटी गईं। कोसी कोटवन एक्सटेंशन-। के भूखंड ई-131 और ई-132 (प्रत्येक का क्षेत्रफल 1800 वर्गमीटर) के मामले में, 41.53 करोड़ और 40.25 करोड़ रुपये की प्रस्तावित परियोजना रिपोर्ट के सापेक्ष दोनों आवेदकों की कुल सालाना आय महज 7.24 लाख और 6.36 लाख रुपये थी। कोई भी आवेदक भूखंड के आवंटन (27 फरवरी 2020) के 30 दिनों के अंदर आरक्षण धनराशि (प्रत्येक के लिए 6.95 लाख) जमा नहीं कर सका। दोनों 864 दिनों की देरी से 8 अगस्त 2022 को आरक्षण धनराशि जमा की। बाद में प्राधिकरण ने आवंटन नीति और जमीन की दरों में बदलाव के कारण दोनों भूखंडों का आवंटन 12 अप्रैल 2023 को निरस्त कर दिया।

कोसी कोटवन-2 के भूखंड संख्या 1/1 (28,011.15 वर्गमीटर) के मामले में आवेदक ने 300 करोड़ की परियोजना लागत के सापेक्ष मात्र 1.04 लाख रुपये की नेटवर्थ घोषित की। इसके बावजूद आवेदक को इकाई स्थापित करने के लिए वर्ष 2021 से 2024 तक का समय विस्तार दिया गया। प्राधिकरण ने सीएजी को दिए जवाब में बताया कि भूखंड संख्या 1/1 के मामले में 300 करोड़ की निवेश रिपोर्ट के आधार पर समय का कोई लाभ नहीं दिया गया। इसी तरह यूपीसीडा ने तीन भूखंडों के आवंटन के मामले में जमीन की अधिकतम पात्रता का मूल्यांकन नहीं किया। ऐसे में तीन आवंटियों को 1992 वर्गमीटर से 10542 वर्गमीटर की मध्य अधिक जमीन का आवंटन कर दिया गया। ब्यूरो

Press Clippings regarding coverage of Report of the Comptroller and Auditor General of India on the 'Working of Uttar Pradesh State Industrial Development Authority', Government of Uttar Pradesh, Report No. 14 of the year 2025 (Performance Audit- Civil) in Newspapers

Date of laying/tabling of Audit Report in the State Legislature: 19.02.2026

Name of the Newspaper	**दैनिक जागरण**
Date	**21.02.2026**
Edition	**हिंदी**
Page No.	**12**

एक लाख की नेटवर्थ वाली कंपनी को करोड़ों का भूखंड आवंटित

राब्यू, जागरण, लखनऊ : भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा भूखंडों के आवंटन में नियमों की अनदेखी के कई मामले सामने आए हैं। इनमें कोसी कोटवन का एक कीमती भूखंड भी शामिल है। 28,011.15 वर्गमीटर का यह भूखंड उस कंपनी को आवंटित किया गया था जिसकी नेटवर्थ 1.04 लाख रुपये थी और उस पर 300 करोड़ रुपये की परियोजना स्थापित की जानी थी। आवेदक को इकाई स्थापित करने के लिए वर्ष 2021 से 2024 तक का समय विस्तार भी दिया गया।सीएजी की रिपोर्ट में यूपीसीडा की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिह्न लगाया गया है। कोसी कोटवन एक्सटेंशन-1 के करीब 1800-1800 वर्गमीटर के दो भूखंडों के आवंटन उन कंपनियों को किए गए जिनकी वार्षिक आय केवल 7.24 लाख और 6.36 लाख रुपये थी। इन भूखंडों को 41.53 और 40.25 करोड़ की परियोजनाओं के लिए कंपनियों को आवंटित किया गया था, लेकिन यूपीसीडा ने कंपनियों की नेटवर्थ की जांच नहीं की थी। नतीजतन कंपनियां भूखंडों के आवंटन के एक माह के भीतर 6.95 लाख रुपये जमा नहीं कर सकी। यूपीसीडा ने आवंटन नीति और भूखंड की दरों में बदलाव के कारण दोनों आवंटन 12 अप्रैल 2023 को निरस्त कर दिए थे।

Press Clippings regarding coverage of Report of the Comptroller and Auditor General of India on the 'Working of Uttar Pradesh State Industrial Development Authority', Government of Uttar Pradesh, Report No. 14 of the year 2025 (Performance Audit- Civil) in Newspapers

Date of laying/tabling of Audit Report in the State Legislature: 19.02.2026

Name of the Newspaper	**अमर उजाला**
Date	**24.02.2026**
Edition	**हिंदी**
Page No.	**-**

लापरवाही सीएजी रिपोर्ट से सामने आई हकीकत, अव्यवस्थित विस्तार का बढ़ा खतरा

यूपीसीडा की धीमी चाल, 5 साल में एक्स लीडा की जोनल योजनाएं नहीं बना सका

अभिषेक गुप्ता

लखनऊ। लखनऊ-उन्नाव क्षेत्र में प्रस्तावित एक्स लीडा महायोजना 2037 को मंजूरी मिले पांच वर्ष से अधिक होने के बाद भी उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) तीन प्रमुख जोनों की जोनल योजनाएं तैयार नहीं कर सका। इस देरी से क्षेत्र में नियोजित विकास की रफ्तार थम गई और अव्यवस्थित विस्तार का खतरा बढ़ गया है।

यूपीसीडा की सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक महायोजना का अध्ययन क्षेत्र लखनऊ और उन्नाव जिलों में 29996 हेक्टेयर जमीन पर फैला है। विकास क्षमता और प्राकृतिक संसाधनों के संतुलन को ध्यान में रखते हुए इसे तीन हिस्सों लखनऊ के पास मल्टी पर्पज जोन, उन्नाव के निकट औद्योगिक जोन और नवाबगंज क्षेत्र में पर्यटन एवं प्रकृति संरक्षण जोन में बांटने का प्रस्ताव किया गया था।

जोनल योजनाएं तैयार न होने पर उठे सवाल

यूपीसीडा ने सितंबर 2023 में दिए गए अपने जवाब में जोनल योजनाएं तैयार न होने के स्पष्ट कारण नहीं बताए। बाद में जुलाई 2024 में जानकारी दी कि एक्स लीडा महायोजना 2041 तैयार कराने के लिए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली को नियुक्त किया गया है। एसपीए दिल्ली जोनल फेजिंग योजनाओं सहित नई महायोजना 2041 तैयार करने की प्रक्रिया में है। सवाल यह है कि जब 2037 की महायोजना के आधार पर विकास कार्य आगे बढ़ने थे तब तक जोनल योजनाएं तैयार क्यों नहीं की गईं? औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों के मुताबिक बिना जोनल योजना के भूमि उपयोग और बुनियादी ढांचे का विकास असंतुलित हो सकता है जिससे भविष्य में संशोधन और पुनर्गठन की जरूरत पड़ेगी।

इन जोनों के लिए विस्तृत जोनल विकास योजनाएं तैयार कर उन्हें लागू करना जरूरी था। महायोजना के प्रावधान के अनुसार योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जोनल विकास योजनाएं, सेक्टर योजनाएं और विस्तृत क्षेत्र योजनाएं तैयार करना अनिवार्य है। इनमें आवासीय, औद्योगिक, वाणिज्यिक, मनोरंजन, सार्वजनिक और अर्द्ध सार्वजनिक उपयोगों के लिए भूमि आवंटन के साथ बुनियादी ढांचे और परिवहन नेटवर्क के व्यापक प्रस्ताव शामिल हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2021 में लीडा का यूपीसीडा में विलय होने के बाद जून 2021 में महायोजना को अंगीकृत कर लिया गया लेकिन 31 मार्च 2024 तक जोनल योजनाएं नहीं बनीं। न तो विलय से पहले एक्स लीडा ने और न ही विलय के बाद यूपीसीडा ने इन योजनाओं को अंतिम रूप दिया।